

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3012]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939

No. 3012]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(विभाग वितरण सार्वजनिक और खाद्य)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3443(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश का.आ. 3348(अ) तारीख 28 अक्टूबर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना के खंड 2 में “28 अक्टूबर, 2017” अंक, अक्षर और शब्दों के स्थान पर “31 दिसम्बर, 2017” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1[6]/2016-एसपी-I]

जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

टिप्पण :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में तारीख 28 अक्टूबर, 2016 का.आ. 3348(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा उसमें अधिसूचना सं. 1346(अ) तारीख 28 अप्रैल, 2017 द्वारा और संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****ORDER**

New Delhi, the 27th October, 2017

S.O. 3443.(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India, in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, number S.O. 3348(E), dated the 28th October, 2016, namely:—

In the said notification, in clause 2, for the figures, letters and words “28th October, 2017”, the figures, letters and words “31st December, 2017” shall be substituted.

[F. No. 1[6]/2016-SP-I]

G. S. SAHU, Director (Sugar Policy)

Note :- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3348(E), dated the 28th October, 2016 and was further amended *vide* notification number S.O. 1346(E), dated the 28th April, 2017.